


164

38

न्यायालय सदस्य श्री दय राम स्व मंचल गालियर कैम रीवा जिला -  
प्रकाश क्रम R. 1308 - ती 113 रीवा म.ग. ।



C.F. 13201-

मि. जयलाल शाहू तनय स्व. श्री हरदत्त शाहू उम्र 68 वर्ष पेशा मेंबर व  
श्री निवासी ग्राम तिखी थाना व तहसील मनगधां जिला रीवा म.ग.  
----- निगरानी की ।

बाम

जयलाल शाहू तनय श्री रामधनी शाहू उम्र 69 वर्ष पेशा श्री निवासी  
ग्राम तिखी थाना व तहसील मनगधां जिला रीवा म.ग.

----- और निगरानी की ।

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार  
तहसील मनगधां जिला रीवा म.ग. के प्र.क्र.  
913-74/12-13 निर्णय दिनांक 7-12-12 .

-----  
निगरानी अन्तर्गत धारा 56 म.ग.भू.रा.सं. 1959 .

मानव्य,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- वहकि आराजी क्रम क्र. 4151/2 रकवा 0-243 हे. स्थित  
ग्राम तिखी निगरानी की के स्वामित्व आधीय त्व व कब्जे-इत्त की  
आराजी है तथा उक्त आराजी का निगरानी की श्रावकीय अधिरोब में भी  
भूमि स्वामी व कब्जेदार दर्ज है तथा उक्त आराजी के लगी आराजी नंबर-  
4151/1 रकवा 0-243 हे. स्थित तिखी म.ग. शासन की है, जो श्राव-  
कीय अधिरोब में भी म.ग. शासन दर्ज है ।

2- वहकि राज्य निर्णय द्वारा नकाश त्रमीन किर जाने के संबंध  
में मानवीय कोर्टर व भू-अधिरोब द्वारा परिपत्र क्र. 4 दिनांक 13-6-2000  
में निर्णय निर्देश जारी किया गया है कि न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त करने

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1308 जा.113 जिला रीवा

विरुद्ध मिठाईवाल साह व धूलाल साह

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सुशील सिंह अधिवक्ता द्वारा यह मसब तहसीलदार तहसील मन्दावा के प्रकरण क्रमांक 91/274/12-13 में पारित आदेश दिनांक 7-12-12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	